न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 114/2022

कृष्णा देवी पत्नी प्यारेलाल उम्र वर्ष जाति मेघवाल निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं राज. हाल आबाद पटीकरा तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।

—प्रार्थी

बनाम

1. प्रेरणा पुत्री सत्यपाल सिंह जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं राज.
2. प्रियंका पुत्री सत्यपाल सिंह जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं राज.
3. शारदा देवी पत्नी सत्यपाल सिंह जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
4. हितेष कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
5. धर्मवृत पुत्र गणपत उम्र वर्ष जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं राज.
6. अणची देवी पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
7. अनिल पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
8. जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
9. दयाचन्द पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
10. पनमेश्वरी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
11. बिमला देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
12. रणवीर सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
13. रतना देवी पत्नी सांवरमल जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
14. राजकुमार पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
15. रामसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
16. रोहताश कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
17. शीशपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
18. सुनिल पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
19. सुमन पुत्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं राज.
20. दयाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं राज.
21. शुभकरण सिंह पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
22. प्रेमचन्द पुत्र सागरराम जाति खाती निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
23. राजेन्द्र कुमार पुत्र सागरराम जाति खाती निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
24. रामस्वरूप पुत्र सागरराम जाति खाती निवासी चुडैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
25. पंजाब नेशनल बैकं शाखा नारनोल हरियाणा
26. बैक ऑफ बड़ौदा शाखा गांधी चौक झुंझुनूं राज.
27. बैकं ऑफ महाराष्ट्र शाखा झुंझुनूं राज.
28. बैकं आर्फ बडौदा शाखा गांधी चौक झुंझुनूं राज.
29. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैकं शाखा चुडेला जरिये शाखा प्रबन्धक
30. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अप्रार्थीगण

वकील आवेदक – श्री तरूण कुमार
वकील अनावेदकगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 आर.एल.एक्ट 1956 बाबत किये जाने पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक 05.06.2024

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम चुडैला स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 17 में दर्ज ख0न0 153 रकबा 0.35 हैक्टर, ख0न0 930/147 रकबा 3.74 हैक्टर की एकाकी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 930/ 147 रकबा 3.74 हैक्टर के उत्तर दिशा की मेढ के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि ख.नं. 146 रकबा 4.77 हैक्टर, अप्रार्थी सं. 6 लगायत 19 की खातेदारी भूमि ख.नं. 148 रकबा 1.99 हैक्टर सीवं जोड़ स्थित है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, 6 लगायत 19 काबिज काश्त है। प्रार्थी की भूमि की दक्षिणी सीमा अप्रार्थी सं. 5 के खेत ख0न0 932/318 रकबा 0.78 है0, अप्रार्थी सं. 22 लगायत 24 की खातेदारी भूमि ख.नं. 928/321 रकबा 0. 87 हैक्टर के साथ लगती है जिस पर अप्रार्थी सं. 5, 22 लगायत 24 काबिज काश्त है। उक्त वर्णित अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत 930/147 रकबा 3.74 हैक्टर की सीमा के साथ तोड़ फोड़ करते रहते है व सीमा को तोड़ देते है तथा जब प्रार्थी अप्रार्थीगण को सीमा ठीक करने के लिये कहता है तो वह नहीं मानते व मारपीट करने पर आमादा हो जाते है। इसी प्रकार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 153 रकबा 0.35 हैक्टर के उत्तरी पश्चिमी दिशा की मेढ के साथ साथ अप्रार्थी सं. 6 लगायत 19 की खातेदारी भूमि ख.नं. 152 रकबा 1.70 हैक्टर सीवं जोड़ स्थित है तथा दक्षिण दिशा की मेढ़ के साथ साथ अप्रार्थी सं. 5 की खातेदारी भूमि ख.नं. 154 रकबा 0.91 हैक्टर सीवं जोड स्थित है जिसपर अप्रार्थी सं. 5 काबिज काश्त है। पश्चिम दिशा की मेढ के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या 20 की खातेदारी भूमि ख0न0 881/159 रकबा 1.72 है0 सींव जोड़ स्थित है जिस पर अप्रार्थी संख्या 20 काबिज काश्त है। तथा अप्राथी संख्या 21 की खातेदारी भूमि ख0न0 883/159 रकबा 2.36 है0 भूमि सींव जोड़ स्थित है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 21 काबिज काश्त है जो प्रार्थी के खेत 152 की सीमाओं के साथ तोड़ फोड़ करते रहते है व सीमाओं को तोड़ देते है तथा जब प्रार्थी अप्रार्थीगण को सीमा ठीक करने के लिये कहता है तो वह नहीं मानते व मारपीट करने पर आमादा हो जाते है।
प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं काश्तकारी की उपरोक्त वर्णित भूमि की सीमा को अप्रार्थीगण से बचाने के लिये उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 को तहसीलदार मलसीसर के आदेश की पालना में पटवार हल्का चुड़ेला द्वारा करवाया जा चुका है। उक्त सीमाज्ञान की फर्द दिनांकित 24.06. 2022 रूबरू मौतबिरानों के समक्ष उनके हस्ताक्षर करवाकर तैयार की गयी है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि की पत्थर गड्डी भी मुताबिक सीमाज्ञान फर्द दिनांकित 24.06.2022 करवाना चाहता है जो किया जाना न्यायोचित भी है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की फर्द सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में

उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 1 लगायत 29 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 29 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 के पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार मलसीसर से दिनांक 24.06.2022 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया है जिसकी सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में सलंग्न है। आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। ग्राम चुड़ैला पटवार हल्का चुडैला स्थित भूमि ख0न0 153, 930/147 कुल किता 2 कुल रकबा 4.09 है0 भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील ज़ाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर